अनुसूचित जनजाति (जिला योजना)
संख्याः 1010 /I(2)/2009-06(1)/68/06

प्रेषक

सौरभ जैन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2, देहरादूनः दिनांक 29 अप्रैल, 2009

विषयः– वित्तीय वर्ष 2009–10 में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युतीकरण कार्यों (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008, दिनांक 24.03.2008 एवं वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 205/XXVII(1)/2009, दिनांक 25.03.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 को जिला योजनान्तर्गत (अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ) अनुमोदित कार्यों हेतु ऋण के रुप में रु0 10,76,000.00 (रु0 दस लाख छिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि संलग्नक–1 में वर्णित जनपदवार फॉट के अनुसार आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अपने हस्ताक्षर से तैयार कर एवं जिलाधिकारी, देहरादून से प्रतिहस्ताक्षरित बिल कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत कर किया जायेगा तथा आहरण तिथि के तीन दिन के अन्दर धनराशि का हस्तान्तरण अपने सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों को किया जायेगा, जिसकी सूचना सम्बन्धित आयुक्त, जिलाधिकारी तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति को भी दी जायेगी।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपदों में वे ही कार्य सम्पादित कराये जायेंगे जो चालू योजना के हों एवं जनपद की जिला सैक्टर की योजना के अन्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा चयनित एवं अनुमोदित हैं।

3– कार्य प्रारम्भ करने से पहले कार्यों का विस्तृत आगणन, कार्यों का विस्तृत विवरण, समयबद्ध समय सारिणी, लागत, लाभान्वित होने वाले क्षेत्र का विस्तृत विवरण शासन को भी उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने पर उक्त बिन्दुओं पर वास्तविक विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय एवं कार्यों का क्रियान्वयन परियोजना मोड में यथोचित बारचार्ट/पर्ट चार्ट आदि पूर्व में निश्चित कर किया जायेगा।

4– उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की जानकारी क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों, मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी, आयुक्त, सम्बन्धित ग्राम प्रधानों को कार्य कराने से पूर्व व बाद में उपलब्ध कराया जायेगा तथा यथोचित माध्यम से प्रचार–प्रसार भी किया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि केवल उक्त कार्यों एवं उद्देश्य हेतु ही व्यय की जायेगी।

6– व्यय करने से पूर्व योजनाओं पर बजट मैनुअल, फाईनैन्सियल हैण्डबुक स्टोर पर्चेज तथा शासन के मितव्ययता के विषय में आदेश व तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली तथा टैण्डर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

7– नये कार्यों पर व्यय करने से पूर्व इनके विस्तृत आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

8– स्वीकृत कार्यों की कम्प्यूटरीकृत सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

9– आवश्यक सामग्री का क्रय सम्बन्धित फर्म से प्राप्त सामग्री की जाँच के उपरान्त ही किया जायेगा एवं इस हेतु सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया जायेगा, जो इस हेतु पूर्ण रुप से उत्तरदायी होंगे।

10– ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु नाबार्ड द्वारा ऋण रु0 6.5% की दर निर्धारित है। इस ऋण पर भी ब्याज की दर 6.5% निर्धारित की जाती है तथा विलम्ब की दशा में 1.0% अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देय होगा। मूलधन की वापसी 10 वार्षिक किश्तों में (ब्याज सहित) माह अप्रैल, 2010 से प्रारम्भ होगा।

2

11– प्रत्येक ऋण आहरण की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, तिथि लेखाशीर्षक सूचित करते हुये भेजेंगे।

12– उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 जब भी किश्तों का भुगतान करें ब्याज भी अवश्य जमा करें एवं महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रारूप पर भेजें–

1– कोषागार का नाम 2– चालान सं0 3– जमा धनराशि, किश्त, ब्याज 4– शासनादेश संख्या और एस0एल0आर0 का सन्दर्भ 5– लेखाशीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा की धनराशि ब्याज।

13– ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा आहरण के प्रत्येक वर्ष पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से किया जाय तथा शासन को मिलान की सूचना उपलब्ध करायी जाय तथा किश्तों के भुगतान का मिलान शासन से भी कराया जाय।

14– भविष्य में ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाय कि ऋणी संस्था इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से करा लिया है ताकि अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहे और ऋण संस्था महालेखाकार से इस आशय का प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दे।

15– स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन को दिनांक 31.03.2010 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा। योजना का मासिक रूप से व्यय विवरण शासन को प्रेषित किया जायेगा।

16– जिला योजना में सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ धनराशि अलग से निर्गत है।

17– अवमुक्त की जा रही धनराशि का जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव में निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के लक्ष्य अनुसार व्यय किया जायेगा।

18– स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2009–2010 के लेखानुदान के अनुदान सं0 31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 6801–बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज–05–पारेषण एवं वितरण–आयोजनागत–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–91–यूपीसीएल को ऋण जिला योजना–01–उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन को ऋण–30–निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0 205/XXVII(1)/2009, दिनांक 25.03.2009 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सहमति के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(सौरभ जैन)
अपर सचिव

संख्या: 1010 /I(2)/2009-06(1)/68/06, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति, उत्तराखण्ड।
6– कोषाधिकारी, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–2/बजट निदेशालय।
8– समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/समाज कल्याण विभाग/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
10– विशेष सैल, ऊर्जा।
11– गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नक– यथोक्त।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव

आदेश संख्या १०१० / I(2)/2009-06(1)/68/2006 दिनॉक 29 अप्रैल 2009 का सलग्नक-1

जिला योजना के अन्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 हेतु अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का जनपदवार विवरण ।

(धनराशि लाख रू0में)

क्रम संख्या	जनपद का नाम	अवमुक्त धनराशि
1	नैनीताल	1.67
2	ऊधमसिंह नगर	00
3	अल्मोड़ा	00
4	पिथौरागढ़	1.58
5	बागेश्वर	0.22
6	चम्पावत	00
7	देहरादून	3.47
8	पौड़ी	00
9	टिहरी	00
10	चमोली	2.92
11	उत्तरकाशी	0.90
12	रूद्रप्रयाग	00
13	हरिद्वार	00
	योग :-	10.76

(रूपये दस लाख छिहत्तर हजार मात्र)

ह0 29.4.09
(सौरभ जैन)
अपर सचिव